कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ० प्र०

परिपत्र सं०-सी-[illegible]/अधि0-2/केसीसी/2015-16 दिनॉक लखनऊ-[illegible] फरवरी 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0।

2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।

विषय:-समिति स्तर पर कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) तथा बैंक स्तर पर समिति स्तर की अल्प कालीन फसली ऋण सीमा निर्धारण करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र सं0 सी-24/अधि0/2013-14 दिनॉक 8.7.13, परिपत्र सं0 सी-77/अधि0/2014-15 दिनॉक 20.5.2014 तथा परिपत्र सं0 सी-43/अधि0/2015-16 दिनॉक 10.9.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

सन्दर्भित परिपत्रों में नाबार्ड के नवीनतम दिशा-निर्देशों एवं टैम्स/कृषक सदस्यों की जोतबही के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने, ऋण सीमा निर्धारित करने तथा समिति की अल्पकालीन फसली ऋण सीमा बनाने आदि के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्रों सहित विस्तृत गाईड लाईन प्रसारित की गयी है।

परिपत्र सं0 सी-77/अधि0/2014-15 दिनॉक 20.5.2014 तथा परिपत्र सं0 सी-43/अधि0/2015-16 दिनॉक 10.9.2015 में सदस्यों को उनकी स्वीकृत ऋण सीमा के 25 प्रतिशत अंश वस्तु के रूप में तथा 75 प्रतिशत नगद वितरित करने के निर्देश है, नई केसीसी योजना के अन्तर्गत ब्याज की मॉग वित्तीय वर्ष में क्रमशः दिनॉक 01 अक्टूबर व 01 अप्रैल को लगाये जाने का प्राविधान है तथा बैंक द्वारा समिति की और समिति द्वारा सदस्यों की मॉग उनके खाते में लगे ऋण (आउटस्टैंडिंग बैलेन्स) ऋण की मॉग प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को लगाने की व्यवस्था है।

ऐसा संज्ञान में आया है कि बैंक/समिति द्वारा सदस्यों को केसीसी योजनान्तर्गत स्वीकृति ऋण सीमा की पूरी धनराशि का आहरण किया जा रहा है। इससे बैंक/समिति के द्वारा प्रदान किये गये ऋण का सदस्य द्वारा दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना बढ़ जाती है और सदस्य द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी न करने से गैर निष्पादित आस्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है जिसका कुप्रभाव इनके सन्तुलन पत्र व आर्थिक सुदृढ़ता पर पड़ता है।

यह भी देखने में आया है कि बैंक/समिति द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण में ऊर्ध्वाधर वृद्धि हुई है और क्षैतिज वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अतः केसीसी योजना के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋण का विस्तार करने, गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा उपर्युक्त कमियों का निराकरण कराने हेतु अधोलिखित निर्देश दिये जाते हैः-

1. केसीसी के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण सीमा की औपचारिकता पूर्ण करने विषयक प्रपत्र-1 का क्रमांक 12 में खरीफ, रबी व अन्य फसलों के अलग-2 आंकलन के अनुसार ही सदस्यों को ऋण वितरित किया जाय न कि एक मुश्त।
2. यदि किसी सदस्य द्वारा ऋण सीमा के अन्तर्गत लिये गये ऋण अथवा ब्याज का भुगतान मॉग करने पर जमा नहीं किया जाता है तब उस स्थिति में उसे अगला ऋण न दिया जाए।
3. वित्तीय वर्ष की 01 अक्टूबर को लगायी ब्याज की मॉग की नोटिस सदस्यों को निर्गत कराकर वसूली सुनिश्चित की जाय।
4. 31 मार्च को आगणित ब्याज एवं लगे ऋण की मॉग एक साथ 01 अप्रैल को लगाकर नोटिस निर्गत कराते हुये वसूली की जाये। इस प्रकार की गई वसूली (मूलधन +ब्याज+अन्य) के पश्चात पुनः प्रदान किया जाने वाला ऋण उसकी खरीफ की आवश्यकता से अधिक न हो।
5. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त सदस्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ऋण सीमा में 10 प्रतिशत तक वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक के स्तर से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।
6. व्यवसाय में वृद्धि किये जाने हेतु निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय किया जाय और अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अनाच्छादित कृषक परिवारों को नया

सदस्य बनाकर उन्हें अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जाय, जिससे ऋण के विस्तार में क्षैतिज वृद्धि सम्भव हो सके।

7. यदि आवश्यक हो तो ऋण वसूली एवं पुनः ऋण वितरण के बीच अन्तराल का अवधारण सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता एवं सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से समितिवार समीक्षा के उपरान्त किया जाय।
8. किसी एक कृषक सदस्य को वित्तीय वर्ष में रू0 3.00 लाख से अधिक ऋण देने के पूर्व उसकी अनुमति सम्बन्धित जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता से प्राप्त की जाय।

उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(किशन सिंह अटोरिया),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्र सं0-सी- 89 /अधि0-2/केसीसी/2015-16 दिनाँक उक्त।
प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त योजनाधिकारी, मुख्यालय।
3. प्राचार्य, कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, 472, सेक्टर-21, रिंग रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ।
4. निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव एण्ड कार्पोरेट मैनेजमेन्ट रिसर्च ट्रेनिंग, सेक्टर-21, रिंग रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, प्रदेशीय सहकारी यूनियन लि0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, प्रदेशीय सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय,11, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन, लखनऊ

(एस0सी0द्विवेदी),
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।